न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1– राजस्व अपील संख्या 64 / 2022

श्री मोहम्मद अली उर्फ मदन पुत्र स्व0 श्री हिमता पौत्र स्व0 श्री बहादुर, जाति मेहरात, निवासी ग्राम श्यामगढ कला, हाल निवासी मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा

.....रेस्पोडेन्ट

2– राजस्व अपील संख्या 65 / 2022

श्री शिवराज पुत्र स्व0 श्री हिमता पौत्र स्व0 श्री बहादुर, जाति मेहरात, निवासी ग्राम श्यामगढ कला, हाल निवासी मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा

.....रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक–15.11.2022

उपरोक्त दोनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2079 में श्री मौ0 अली उर्फ मदन व श्री अमीन पुत्रगण श्री हिमता, श्री रूस्तम व बबरूद्दीन पुत्रगण श्री जलाल उर्फ जयलाल, सलमा पुत्री श्री जलाल उर्फ जयलाल एवं नैना पत्नि जलाल उर्फ जयलाल जाति मेहरात, निवासी ग्राम श्यामगढ कला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ने ग्राम मसूदा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर

2904/545 रकबा 1.0605 है0 किस्म बा0 3 में से रकबा 0.4854 है0 भूमि पर अनाधिकृत रूप से हल चलाकर व कच्चे पत्थरों की दीवार बनाकर एवं श्री शिवराज पुत्र श्री हिमता, श्री रूस्तम व बबरूद्दीन पुत्रगण श्री जलाल उर्फ जयलाल, सलमा पुत्री श्री जलाल उर्फ जयलाल एवं नैना पत्नि जलाल उर्फ जयलाल जाति मेहरात, निवासी ग्राम श्यामगढ कला, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ने ग्राम मसूदा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 0.4611 है0 किस्म बा0 3 भूमि पर अनाधिकृत रूप से हल चलाकर व कच्चे पत्थरों की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 79/2022 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.07.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.07.2022 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम मसूदा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 545 व 546 पर अपीलान्ट व उनके पूर्वाधिकारी का सन 1972 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 128/2008 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 19.09.2008 को बेदखली के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 26/2008 पेश की जो निर्णय दिनांक 26.10.2009 से निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 275/2009 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 12.05.2010 से स्वीकार की गई तथा अपीलान्ट व उसके पूर्वाधिकारी का सन् 1972 से निरन्तर कब्जा काश्त होने व भाई श्री शिवराज भूतपूर्व सैनिक होने के आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र/आदेश सन् 1994 के आधार पर भूमि नियमन का अधिकारी मानते हुए नियमन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने व विवादित आराजी से बेदखल नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने के आदेश दिये गये किन्तु उक्त आदेश की विधिवत पालना नहीं कर अपीलान्ट को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी आधार के नियमन के स्थान पर आवंटन का प्रकरण दर्ज कर विधि व क्षेत्राधिकार के विपरीत एकपक्षीय रूप से आवंटन अधिकारी मसूदा द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2018 से खारिज कर दिया। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 79/2022 दर्ज कर दिनांक 15.07.2022 की पेशी हेतु दिनांक 07.07.2022 को नोटिस प्रेषित करने पर हुई। उक्त आदेश के विरूद्ध मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 197/2022 पेश की गई जिसमें सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 14.07.2022 के द्वारा विवादित आराजी की मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा उक्त स्थगन आदेश

अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

की प्रमाणित प्रति मय अपने अधिवक्ता का जवाब संलग्न कर दिनांक 15.07.2022 को प्रातः 10.00 बजे तहसीलदार, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए पत्रावली पर अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित कर दिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन आदेश की खुले रूप से अवमानना व अवहेलना करते हुए विधि, पद एवं क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर एकपक्षीय आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया। उनका आगे कथन है कि अपीलाधीन आदेश प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को विस्तृत जवाब जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 14.07.2022 को प्रेषित किया जो दिनांक 15.07.2022 को प्राप्त होने एवं अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 15.07.2022 को स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति व जवाब की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई किन्तु आक्षेपित आदेश में इनका विवेचन व विश्लेषण किये बिना विधि विरूद्ध व एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। तहसीलदार मसूदा का विधिक उत्तरदायित्व था कि वे मान0 न्यायालय के स्थगन आदेश का सम्मान करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर देते किन्तु उन्होने अपीलान्ट से व्यक्तिगत द्वेषता रखते हुए पद व क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया। उन्होने कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 12.05.2010 की पालना में तहसीलदार मसूदा द्वारा राजस्व एजेन्सी से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 25.06.2014 अनुसार विवादित आराजी पर अपीलान्ट व उनके पूर्वाधिकारी का पैतृक समय से कब्जा काश्त होना व पुराने वृक्ष, कच्ची चारदीवारी होना स्वीकार कर भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में नहीं होकर नियमन योग्य होना माना है किन्तु समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, आदेश व विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होकर बारानी 3 के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा सिवायचक आराजी पर हल चलाकर व कच्चे पत्थर की दीवार बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 12.05.2010 की पालना में नियमन/आवंटन का प्रकरण आवंटन अधिकारी मसूदा द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2018 से खारिज किया गया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश हुई एवं प्रकरण में वादग्रस्त आराजी बाबत दिनांक 14.07.2022 को स्थगन आदेश जारी हुआ किन्तु मान0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.09.2022 से उक्त स्थगन आदेश वेकेट कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल में निगरानी पेश हुई जो खारिज कर दी गई। इस प्रकार अपीलान्ट व अन्य का विवादित आराजी पर अवैध अतिक्रमण होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित होकर किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नियमन/आवंटन का प्रकरण आवंटन अधिकारी मसूदा द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2018 से खारिज कर दिया गया था एवं उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.09.2022 व इसके विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश निगरानी भी निर्णय दिनांक 29.09.2022 से खारिज की जा चुकी है। पत्रावली पर

अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

यह तथ्य भी प्रकट आये हैं कि विवादित आराजी सिविल न्यायालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हित कर प्रस्तावित की गई है एवं राजकीय भूमि होकर अपीलान्ट अतिक्रमी के रूप में काबिज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व अन्य के विरूद्ध की गई कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत होती है एवं प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्ट व अन्य का अवैध अतिक्रमण होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.07.2022 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर,अजमेर
अजमेर